फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.... सिलसिला ....(टोडा)........

दोद्या
सरकार बनाम ....जगन्या वगैरह........

किस्म मुकदमा ......88/188 R.T.A....मु० नं०....380/16 (13/20)........
(मूल प्रकरण) (रिमाण्ड पश्चात)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.3.22	पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष की बहस, Trial Court के निर्णय दि. 2.5.18 व माननीय RAA के निर्णय दि. 3.1.20 का अवलोकन किया गया। वादी दोद्या द्वारा ग्राम गण्डरावा के साबिक ख.नं. 131 (1.06 बीघा) हाल ख.नं. 219 (.33 है.) के भू-प्रबंध नक्शा ट्रेस में दर्शित लगभग 1.01 बीघा को जमाबंदी अनुसार रकबा बराबरी का अनुतोष चाहा है। वादी पक्ष का तर्क रहा कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख.नं. 131 से हाल ख.नं. 219 कायम करते हुये नक्शा ट्रेस में 5 बिस्वा रकबा कम कर दिया है, जो काबिले दुरस्ती है। प्रतिवादी पक्ष का तर्क रहा कि सम्वत 2017 व 2068 के नक्शों ट्रे. में समान है तथा वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण से ही क्रय की है। उभय पक्षों के नक्शे भू-प्रबंध पूर्व से वर्तमान तक same है या भिन्न इसका निर्णय तहसीलदार द्वारा भूमिधारी की हैसियत से किया जाना है। अतः तहसीलदार बहरावण्डा को आदेशित किया जाता है कि वादी पक्ष के ख.नं. 219 व प्रतिवादी पक्ष के नक्शा ट्रेस की रकबा बराबरी, मुताबिक जमाबंदी की जावे। मुताबिक आदेश डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) 16.3.22	